भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय: - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद के लिए भर्ती नियमों के संशोधन पर सार्वजनिक सूचना के संबंध में।

डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं.एबी.14017/61/2008-स्‍ था. (आरआर), के अनुपालन में क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद के लिए भर्ती नियम इत्यादि की अधिसूचना का मसौदा संलग्‍ न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे के संबंध में किसी भी आपत्ति / टिप्पणियों या सुझावों में रुचि रखने वाले हितधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री अम्बा दत्त बवाड़ी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 को या ई-मेल पते ad.bawari@nic.in पर लिखित रूप में ऐसा कर सकते हैं।

अम्बा दत्त बवाड़ी

(अम्बा दत्त बवाड़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061510

नई दिल्‍ ली
दिनांक : नवम्‍ बर, 2018

संलग्न :

अनुसूची

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ स्टोर कीपर	1* (2018) *(कार्यभार की भिन्नता के आधार पर)	सामान्य, केंद्रीय सेवा, समूह-'ग', गैर राजपत्रित, गैर-सचिवालयीय	लेवल-5, (29200-81100 रुपए)	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो तो
(6)	(7)	(8)	(9)
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी जिसे पैतीस वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।	इंजीनियरिंग के किसी भी संकाय में स्नातक या डिप्लोमा। वांछनीय: सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा धारक।	लागू नहीं।	दो साल

भर्ती के तरीके : सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	भर्ती के मामले में किसी पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के माध्यम से जिसे ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के माध्यम से किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका गठन कैसे किया गया है।	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(10)	(11)	(12)	(13)
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति जिसके विफल होने पर सीधी भर्ती।	केंद्र सरकार (क)(i) नियमित आधार पर सादृश पद धारक या (ii) 2,5500-81100/- के वेतन मैट्रिक्स में पद पर पांच साल की नियमित सेवा वाले केन्द्र सरकार के अधिकारी। (ख) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता धारक।	विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: - 1. निदेशक - क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष। 2. उप निदेशक - क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर- सदस्य। 3. चिकित्सा अधिकारी- क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रायपुर - सदस्य। 4. क्षेत्र में केंद्र/राज्य सरकार कार्यालय से संबंधित कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं।